न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—111/2016 (2016/00154) वाद पत्र

अनवान

1—देवनाथ आत्मज छोगानाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—शिवनाथ पिता श्रवणनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—श्रवणनाथ पिता छोगानाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—श्यामनाथ पिता श्रवणनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—सोहननाथ पिता श्रवणनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सदानाथ पिता छोगनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—गणेशनाथ पिता छोगनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—लाडुनाथ पिता लालनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत— अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 30.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम परबती तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 79 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 80 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 82 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। उक्त वर्णित आराजियात तन्हा रूप से वादी के खातेदारी आधिपत्य में निरन्तर चली आ रही है। उक्त आराजियात वादी का कब्जा 50—60 वर्षो से ही काबिज हुँ। उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से वादी की उक्त आराजियात पर अवैध निर्माण करवाने हेतु आतुर व तत्पर है। प्रतिवादीगण अपना कार्य वादीकी आराजियात पर शुरू करवाने हेतु नींव खुदवा कर उस पर पक्का निर्माण करने की गरज से पत्थर व निर्माण सामग्री डालना आरम्भ कर दिया। वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा किसी भी तरह से विधिक रूप से नही होते हुए भी मात्र लाठी के बल पर उक्त सभी प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से वादी को मेरे जायज हक अधिकार की उक्त आराजियात को हड़पना चाहते है जिससे उनके विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात से उसे जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे तथा वादी की उक्त आराजियात में जबरन किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे, न अन्य से करावे व वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। दौराने वाद कार्यवाही यदि प्रतिवादीगण वादी की कब्जे की उक्त आराजियात में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवा देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाया जावें।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के अधिवक्ता उपस्थित जिनको काफी अवसर देने के बाद भी कोई जवाद प्रस्तुत नही किया गया जिससे उनका जवाब बन्द किया गया।

अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस चुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि वादी वादवणित भूमि का खातेदार कृषक है प्रतिवादी का इस भूमि से कोई लेना देना नही है। वादीगण की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ताकत के बल पर निर्माण करने पर आमादा है जिससे उसके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना फरमावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एव वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि वादी आराजी संख्या 79 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 80 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 82 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण की वादवर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का कोई हक अधिकार नही है और प्रकरण में प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब करने पर अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया जिससे भी यह प्रमाणित कि प्रतिवादी को वाद से कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम परबती तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 79 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 80 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 82 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 है0 भूमि में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात से उसे जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे तथा वादी की उक्त आराजियात में जबरन किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे, न अन्य से करावे व वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

30/06/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–111/2016 (2016/00154) वाद पत्र

अनवान

1–देवनाथ आत्मज छोगानाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–शिवनाथ पिता श्रवणनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–श्रवणनाथ पिता छोगानाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–श्यामनाथ पिता श्रवणनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–सोहननाथ पिता श्रवणनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–सदानाथ पिता छोगनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–गणेशनाथ पिता छोगनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–लाडुनाथ पिता लालनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम परबती तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 79 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 80 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 82 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 है0 भूमि में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात से उसे जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे तथा वादी की उक्त आराजियात में जबरन किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे, न अन्य से करावे व वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

30/06/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)